आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

03|10|2019

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल दण्डाधिकारी, राजमहल।
क्रि0मि0 वाद सं0– 322/2019
प्रथम पक्ष– चुन्नु कर्मकार वगै0
बनाम
द्वितीय पक्ष– गणेश कर्मकार वगै0
दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अधीन कार्यवाही
आदेश

थाना प्रभारी, राजमहल से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि जमीन से संबंधित विवाद को लेकर पक्षों के बीच सार्वजनिक शांति भंग की संभावना है। जिससे संतुष्ट होकर वाद की कार्यवाही दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

विवादित भूमि का विवरण

मौजा	ज0नं0	दाग नं0	रकवा	चौहद्दी	
				उत्तर	दक्षिण
सीतापहाड़ नं0– 40	24	142	02–12–13	परती कदीम	राम मुर्मू
		154	00–19–07	निज	राम मुर्मू
		155	04–02–18	परती कदीम	–
		317	01–13–18	फोगडा बेसरा	नारायण मरांडी
		338	04–10–15	परती कदीम	–
		342	01–16–06	सीमाना रांगा	राम मरांडी
		371	00–07–17	साम मुर्मू	बिन्दु मडैया
		372	00–07–07	राम मुर्मू	बिन्दु मडैया
		415	03–04–03	रूपाय मुर्मू	निज
		416	00–10–18	धानी निज	निज
		417	00–06–13	धानी डूमरी	
		470	01–00–11	गोपाल मुर्मू	राधिया कमारिन
		486	00–03–13	रास्ता	निज
		490	01–16–06	निज	चन्द्राय हॉसदा
		492	01–00–11	चन्द्राय हॉसदा	निज
		493	00–06–13	निज	मतला हेम्ब्रम
		644	01–19–19	बिन्दु मडैया	रास्ता
		370	00–03–13	बिन्दु मडैया	रास्ता

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा सीतापहाड़ के जमाबंदी नं0– 24 के विभिन्न दागों का कुल रकवा 27 बीघा 04 कट्ठा 11 धूर जमीन आवेदकगण के परदादा बिन्दु मडैया एवं भीखु मडैया के नाम से दर्ज है, जिसका लगान रसीद अद्यतन अदा करते आ रहे हैं तथा उक्त वर्णित जमीन पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। दिनांक 26.07.2019 को सुबह 10 बजे विपक्षीगण आवेदकगण के जमीन पर लाठी हंसुआ, तीर–धनुष आदि हथियारों से लैस होकर आवेदकगण के खेत पर आ गये। आवेदकगण द्वारा उस वक्त धान रोपने का कार्य किया

Scanned with CamScanner

जा रहा था। विपक्षीगण हरवे हथियारों से लैस आवेदकगण को गाली–गलौज करते हुए धमकी दे कर बोले की इस जमीन से जल्दी भागों नही तो सभी को जान से मारकर इसी खेत में गाड़ देगें और आवेदगण को मारने के लिए दौडया तो आवेदकगण भाग कर अपना जान बचाया। विपक्षीगण के द्वारा आवेदकगण की जमीन को हड़पने के लिए मार–पीट, खुन–खराबा व हत्या कर देने की स्थिति उत्पन्न कर दिये है, जिससे विपक्षियों द्वारा शांति भंग की पूर्ण संभावना है। अतएव जारी निषेधाज्ञा प्रथम पक्ष के हित में रिक्त एवं द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सम्पुष्ट करने का प्रार्थना किया गया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल कारण पृच्छा में उल्लेख किये हैं कि प्रथम पक्ष मनबढु एवं अपराधिक प्रवृति के लोग है एवं अपराधिक प्रवृति के लोगों से सांठ–गांठ रखते हैं। प्रथम पक्ष जबरदस्ती जमीन हड़पने के फिराक में है। प्रथम पक्ष ना तो खतियानी रैयत के वंशज है एवं न ही उनके वंश से आते हैं। प्रथम पक्ष को उक्त वर्णित जमीन के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। द्वितीय पक्ष शुरू से ही उक्त जमीन का खजाना देकर रसीद प्राप्त करते आ रहे हैं तथा उकत कार्यवाही वाली जमीन पर शांतिपूर्ण भोग दखल है। प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को परेशान करने की नीयत से यह वाद लाये हैं। प्रथम पक्ष के द्वारा लाया गया वाद गलत व तथ्यहीन है। अतएव जारी निषेधाज्ञा द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त एवं प्रथम पक्ष के विरूद्ध सम्पुष्ट करने का प्रार्थना किया गया है।

उभय पक्षों द्वारा उपस्थापित कागजातों एवं उनके विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत बहस को सुना। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने से प्रतीत होता है कि मौजा सीतापहाड़ के जमाबंदी नं0– 24 का कुल रकवा 27 बीघा 04 कट्ठा 11 धूर जमीन के खतियानी रैयत बिन्दु मड़ैया के नाम से पंजी II में अंकित है। उभय पक्षों ने अपने–अपने वंशावली में रैयत बिन्दु मडैया का वंशज दर्शाया गया है। जिससे उभय पक्षों में तनाव उत्पन्न हो गया है और खुन–खराबा एवं शांति व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई है।

अतः तमाम स्थिति एवं परिस्थितियों पर सम्यक विचारोपरांत पाया जाता है कि मौजा सीतापहाड के जमाबंदी नं0– 24 का कुल रकवा 27 बीघा 04 कट्ठा 11 धूर जमीन द्वितीय पक्ष के दखल में है, जिसे लेकर आवेदक द्वारा वाद लाया गया है।

अतएव प्रस्तुत विवाद स्वत्व एवं अधिकार से संबंधित है। प्रस्तुत वाद का निपटारा इस वाद के माध्यम से संभव नहीं है। प्रथम पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। इस निदेश के साथ वाद कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
राजमहल

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
राजमहल

Scanned with CamScanner